


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी / 2024 / 600

दिनांक: 30/01/2024

आदेश

श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता (Enrolment No:- R/3788/2018)
निवासी- जयपुर को नगर निगम जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज के विरुद्ध माननीय
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में राज्य सरकार की
ओर से पैरवी करने हेतु 20,000/-रूपये मासिक मानदेय पर स्थाई अधिवक्ता
एतद्वारा नियुक्त किया जाता है। इनको मानदेय का भुगतान नगर निगम जयपुर
ग्रेटर से देय होगा।



(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी / 2024 / 601-610

दिनांक: 30/01/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज।
6. श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता मार्फत नगर निगम जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी